भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *397

उत्तर देने की तारीख 01.04.2026

बुधवार, 11 चैत्र, 1948 (शक)

भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) की भूमिका और सुदृढ़ीकरण

*397. श्रीमती सुधा मूर्तीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) के अंतर्गत अधिकारियों की संस्वीकृत संख्या और तैनाती की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), प्रशिक्षुता संवर्धन और उद्योग से जुड़ाव सहित कौशल पारितंत्र को सुदृढ़ करने में आईएसडीएस के अधिकारियों की क्या भूमिका अभिकल्पित की गई है;

(ग) क्या आईएसडीएस के अधिकारियों की क्षमता, प्रशिक्षण और करियर प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उभरते क्षेत्रों और नए युग की कौशल आवश्यकताओं के साथ उनका सामंजस्य किया जा सके; और

(घ) आर्थिक वृद्धि और रोज़गार सृजन के एक वाहक के रूप में कौशल विकास के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए, क्या सरकार का आईएसडीएस के दायरे का विस्तार करने का विचार है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) की भूमिका और सुदृढ़ीकरण" के संबंध में श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा दिनांक 01.04.2026 को पूछे जाने वाले राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या *397 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

(क) भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) के अंतर्गत अधिकारियों की वर्तमान स्वीकृत संख्या तथा उनकी तैनाती का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	ग्रेड	ड्यूटी पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्वीकृत संख्या	भरे हुए पदों की संख्या
1	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	उप महानिदेशक	स्तर-14	03	03
2	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	निदेशक	स्तर-13	32	29
3	वरिष्ठ टाइम स्केल (गैर-कार्यकारी द्वितीय ग्रेड)	संयुक्त निदेशक	स्तर-12	23	15
4	वरिष्ठ टाइम स्केल	उप निदेशक	स्तर-11	97	45
5	कनिष्ठ टाइम स्केल	सहायक निदेशक	स्तर-10	116	70
	कुल			271	162

(ख) कौशल विकास इको सिस्टम के संदर्भ में विकसित भारत की अभिकपलना को साकार करते हुए वर्ष 2015 में एक सुव्यवस्थित समूह 'क' सेवा, अर्थात् भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) का गठन किया गया। आईएसडीएस संवर्ग मुख्यतः 15,000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) तथा 22 क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालयों (आरडीएसडीई) में विभिन्न कौशल विकास कार्यकलापों संबंधी नीतिनिर्धारण, कार्यान्वयन, विनियमन तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी है, जिसका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) में नियुक्त अधिकारियों को कोलकाता स्थित केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई) में एक सुव्यवस्थित एवं व्यावसायिक प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना होता है। साथ ही, अधिकारियों को कौशल विकास इको सिस्टम में उभरती चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने तथा उनका समाधान करने में सक्षम बनाने हेतु क्षेत्र-आधारित अध्ययन और व्यावहारिक अनुभव पर भी विशेष बल दिया जाता है। मंत्रालय द्वारा भारतीय कौशल विकास सेवा के अधिकारियों के लिए उनके कैरियर के विभिन्न चरणों में व्यावसायिक, प्रबंधकीय तथा नेतृत्व

क्षमताओं के संवर्धन हेतु मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे प्रिमियर संस्थानों में संचालित किए जाते हैं। आईटीआई नेटवर्क के ताजी से हो रहे विस्तार, शिक्षुता प्रणालियों के विस्तार, प्रौद्योगिकी-गहन ट्रेडों की शुरुआत तथा डिजिटल प्लेटफार्मों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए आईएसडीएस अधिकारियों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। निरंतर बदलती संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप इस सेवा को पुनर्संरेखित करने और कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा अधिकारियों की न्यायसंगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से, किसी संवर्ग प्रबंधन के प्रमुख घटकों जैसे मानव संसाधन आकलन, भर्ती योजना, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति आदि को समाहित करते हुए सामान्यतः प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर संवर्ग समीक्षा की जाती है।

अनुलग्नक

"भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) की भूमिका और सुदृढ़ीकरण" के संबंध में श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा दिनांक 01.04.2026 को पूछे जाने वाले राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या *397 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) अधिकारियों की भूमिका

(i) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) तथा इसके संबद्ध संगठनों के अंतर्गत संचालित योजनाओं, जैसे उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस), उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (एवीटीएस), आईटीआई का मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन आदि से संबंधित नीतिनिर्धारण, कार्यान्वयन तथा निगरानी करना।

(ii) केंद्रीय योजनाओं की समयबद्ध निगरानी तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों और राज्य कौशल विकास मिशनों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(iii) विभिन्न कौशल पहलों/योजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित कौशल प्रयासों का संकेन्द्रण अभिसरण को सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(iv) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप मुख्यधारा की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण करना।

(v) उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा देश के कौशल इको सिस्टम के अन्य हितधारकों के साथ कार्यनीतिक साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

(vi) क्षेत्र-वार/क्षेत्र-विशिष्ट कौशल अंतराल का विश्लेषण करते हुए कुशल जनशक्ति की मांग तथा आपूर्ति की मैपिंग करना।

(vii) राज्य कौशल विकास मिशन तथा जिला कौशल समिति के साथ समन्वय एवं उनकी निगरानी करना।

(viii) प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रबंधन करना।

(ix) इंडिया स्किल्स, वर्ल्ड स्किल्स तथा अन्य अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिताओं का कार्यान्वयन एवं निगरानी।

(x) कौशल विकास के क्षेत्र में विदेशी सरकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता-निर्माण एवं ज्ञान साझा करना।

(xi) भारतीय कौशल संस्थान आदि की स्थापना हेतु एमएसडीई की पहलों का क्रियान्वयन।

(xii) शैक्षणिक संस्थानों, कारोबार एवं अन्य सामुदायिक संगठनों के बीच सुदृढ़ साझेदारी स्थापित करके युवा उद्यमशीलता शिक्षा तथा क्षमता का विस्तार करना और इसके लिए राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करना।
